

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

पीठासीन अधिकारी  
जगदीश आर्य  
(आर०ए०एस०)

मुकदमा नं० (टी०आई० - ) 1/17  
तारीख रजु - 10-1-17

श्रीमति समयकौर पत्नी स्व० शहीद राजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम  
जिला करौली - प्रार्थीया  
उनवान विरुद्ध

1. सीओ साहय पुत्र मोहरसिंह
  2. नरेश पुत्र मोहरसिंह
  3. भीम पुत्र मोहरसिंह
  4. श्रीमति रत्तो देवी पत्नी स्व० मोहरसिंह
- समस्त जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली

-प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति

श्री राम भरोसी गुप्ता एडवोकेट - पक्ष प्रार्थीया  
श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट - पक्ष अप्रार्थीया

मुकदमा नं० (टी०आई० - ) 5/16  
तारीख रजु - 2-3-16  
उनवान

1. सी०ओ० साहय पुत्र मोहरसिंह
  2. नरेश पुत्र मोहरसिंह
  3. भीम पुत्र मोहरसिंह
  4. श्रीमति रत्तो देवी पत्नी मोहरसिंह
- समस्त जाति गुर्जर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली

-प्रार्थीगण / सायलान

यनाम

1. राजेन्द्र पुत्र कलुवा
2. नरसी पुत्र कलुवा
3. हरकेश पुत्र कलुवा
4. श्रीमति हन्सो पत्नी स्वर्गीय कलुवा

5. श्रीमति समयकौर पत्नी स्व० शहीद राजेन्द्रसिंह  
समस्त जाति गुजर निवासी तिघरिया तहसील टोडाभीम जिला करौली  
6. उपपंजीयक उपतहसील बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली  
7. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

—अप्रार्थीगण / गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट - पक्ष प्रार्थीगण  
श्री राम भारोसी गुप्ता एडवोकेट - पक्ष अप्रार्थीगण

दिनांक :- 29.01.2018

निर्णय

दोनों प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में विवादित भूमि खसरा नम्बरान व पक्षकारान समान होने के कारण दोनों उपरोक्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

पत्रावली उनवानी समयकौर बनाम सी०ओ० आदि मुकदमा नं० (टी०आई०) 1/1/17 में प्रार्थीया ने एक प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि भूमि खसरा नं० 42 रकवा 0.35 हेक्टर, 43 रकवा 0.24 हेक्टर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम में प्रार्थीया हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है तथा हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में इसी प्रकार खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया ने इस भूमि को पूर्व खातेदार राजेन्द्र, नरसी, प्रेम, हरकेश पुत्र कलुवा, हंसो बेवा कलुवा, द्रोपती पुत्री कलुवा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीद किया है तथा इस विक्रयपत्र के आधार पर प्रार्थीगण के नाम नामान्तरण खुलकर खातेदारी हो गई है। इस भूमि में बोरिंग है उसमें भी प्रार्थीया हिस्सा 1/2 की खातेदार है। प्रार्थीया के हिस्से 1/2 से अप्रार्थीगण सी०ओ० आदि का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। तथा रिलिफ चाही है कि अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीया की उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 में तथा उसमें स्थित बोरिंग में हिस्सा 1/2 में उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा नहीं करें।

यह प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की तरफ से उनके वकील उपस्थित हुये तथा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थनापत्र में सभी तथ्य प्रार्थीया ने गलत दर्ज किये हैं तथा कथन किया कि राजेन्द्र बगैरहा ने अपने हिस्से की आराजीयात को भाई बन्धु होने के कारण काफी वर्षों पूर्व बेच दिया था तथा सम्पूर्ण आराजी पर गैरसायलान का कब्जा है तथा राजेन्द्र आदि ने आनी खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर सायला को रजिस्ट्री करा दी थी तथा पूर्व से ही बोरिंग करा रखी है जिससे सायला का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है इसलिये प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी सी०ओ० साहव आदि बनाम राजेन्द्र आदि मुकदमा नं० (टी०आई०) 5/1/16 में प्रार्थीगण सायलान ने कथन किया कि भूमि हाल खसरा नं० 42 रकवा 0.35 हेक्टर, 43 रकवा 0.24 हेक्टर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम में खातेदारी हिस्सा 1/2 की सायलान के नाम है तथा हिस्सा 1/2 की गैरसायलान के नाम है तथा सायलान ने काफी धन लगाकर जमीन को समतल किया है तथा उसमें सिंचाई हेतु एक बोरिंग लगा ली है, बोरिंग में मीठा पानी है इसलिये गैरसायलान की नियत खरीब हो गई है

उपनिष्ठा कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

और वे बोरिंग की जमीन को हड़पने को आमादा है तथा रिलिफ चाही है कि गैरसायल नं० 1 ता 5 को ताफैसला दाया उन्हे उक्त भूमि के कब्जे काश्त व बोरिंग मे उपयोग उपभोग मे कोई बाधा उत्पन्न नही करे। रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये। अप्रार्थी नं० 2 ता 5 की तरफ से जबाव प्रस्तुत किया और कथन किया कि उक्त भूमि के हिस्सा 1/2 की अप्रार्थी नं० 5 समयकौर पत्नी स्व० शहीद राजेन्द्र हिस्सा 1/2 की खातेदार काश्तकार है तथा हिस्सा 1/2 की खातेदारी दर्ज है तथा इस भूमि मे जो बोरिंग है उसकें हिस्सा 1/2 की मालिक है इसलिये प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जावे।

दोनों प्रकरणों मे दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हाल रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी मे भूमि खसरा नं० 42 रकवा 0.35 हेक्टर, 43 रकवा 0.24 हेक्टर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम मे हिस्सा 1/2 की खातेदार समयकौर पत्नी राजेन्द्रसिंह है तथा हिस्सा 1/2 की खातेदार सी०ओ० साहब, नरेश, भीम पुत्र मोहरसिंह, श्रीमति रत्तो देवी पत्नी मोहरसिंह हिस्सा 1/2 की खातेदार है इसलिये उक्त दोनों ही प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाते है तथा प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीमति समयकौर बनाम सी०ओ०साहब आदि मे अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नं० 42 रकवा 0.35 हेक्टर, 43 रकवा 0.24 हेक्टर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम मे हिस्सा 1/2 प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे तथा उक्त भूमि मे बोरिंग हिस्सा 1/2 मे उपयोग उपभोग मे रूकावट पैदा नही करे तथा प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी सी०ओ०साहब आदि बनाम राजेन्द्र आदि मे अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नं० 42 रकवा 0.35 हेक्टर, 43 रकवा 0.24 हेक्टर स्थित ग्राम तिघरिया तहसील टोडाभीम मे हिस्सा 1/2 प्रार्थीया के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे तथा उक्त भूमि मे बोरिंग हिस्सा 1/2 मे उपयोग उपभोग मे रूकावट पैदा नही करे।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।



उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (कटौली)